Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

आंतरिक सुरक्षा

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSM11

दृष्टि The Vision

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

आंतरिक सुरक्षा

दृष्टि The Vision

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP विषय सूची (Contents)

1. विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध (नक्सलवाद) 5-20

2. भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान (बाह्य राज्यों और राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका) 21-61

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन 62-89

4. संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती तथा साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्त्व 90-113

5. आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका 114-135

6. आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मनी लॉण्डरिंग (हवाला) एवं इसकी रोकथाम 136-152

7. संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध 153-168

8. विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ तथा उनकी भूमिका 169-184

अध्याय
1

विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध (नक्सलवाद) [Linkages between Development and Spread of Extremism (Naxalism)]

1.1 विकास की अवधारणा एवं भारत में विकास
1.2 उग्रवाद का अर्थ
1.3 विकास तथा वामपंथी उग्रवाद में संबंध
1.4 वामपंथी उग्रवाद के कारण
1.5 भारत की विकास नीति और वामपंथी उग्रवाद पर कुछ विचार
1.6 अन्य मुद्दे
1.7 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियों के आकलन हेतु योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट (2008)
1.8 कमज़ोर आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वामपंथी उग्रवाद का एक कारण
1.9 वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तथा राज्य
1.10 वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम
1.11 वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु सरकार के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयास
1.12 वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु नए प्रयास
1.13 वामपंथी उग्रवाद की समाप्ति हेतु सुझाव

1.1 विकास की अवधारणा एवं भारत में विकास *(Concept of Development and Development in India)*

विकास को एक बहुपक्षीय विषय के रूप में देखा जा सकता है। इसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, समाज में महिलाओं की स्थिति, पोषण तथा आवास की उपलब्धता, वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की पहुँच आदि को शामिल किया जा सकता है।

भारत में अनेक राज्य हैं तथा इन राज्यों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में असमानताएँ हैं। विभिन्न राज्यों में गरीबी, भुखमरी, आवास संबंधी समस्याएँ व्याप्त हैं। बेकारी अथवा बेरोज़गारी सबसे प्रमुख समस्या है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण मांग एवं पूर्ति में अंतर ने समस्या को और बढ़ा दिया है।

विकास के लाभों का असमान वितरण एक ऐसे सापेक्षिक वंचना के भाव को जन्म देता है जो वंचित एवं बहिष्कृत वर्गों में व्यवस्था की विश्वसनीयता को धूमिल कर देता है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय किसी व्यवस्था से अपनापन तभी महसूस करता है जब उसे इस बात का विश्वास हो कि उसकी बुनियादी आवश्यकताओं, उसके मौलिक अधिकार, उसकी सभ्यता व संस्कृति के प्रति सरकार संवेदनशील है। सामाजिक-आर्थिक न्याय के प्रति शासन की संवेदनशीलता इसकी कसौटी है।

1990 के दशक में नई आर्थिक नीति को अपनाए जाने के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन व्यवस्था में विभिन्न स्तर पर बिचौलियों की उपस्थिति, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से आधारभूत स्तर (ग्राम स्तर) पर खासकर आदिवासी क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में आम जनता के शोषण के कई साधन (जैसे साहूकारी प्रथा आदि) विद्यमान रहे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विकास समावेशी नहीं था। अत: बेरोज़गारी एवं असमान विकास से उपजे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन से अलगाववाद एवं अलग व्यवस्था के पक्षधर लोगों को बढ़ावा मिला है और यह उग्रवाद के रूप में सामने आया है।

1.2 उग्रवाद का अर्थ *(Meaning of Extremism)*

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे व्यक्ति या समूह जो लोकतंत्र की जगह एक ऐसी व्यवस्था के पक्षधर हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को महत्त्व न देते हुए हिंसक गतिविधियों का उपयोग कर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उग्रवादी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी इस विचारधारा को ही उग्रवाद कहा जाता है।

- वायु सेना आदि में इस भावना का होना कि रक्षा नीति-निर्माण में थल सेना का प्रभुत्व है। ऐसा माना जाता है कि 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)' के परिणामस्वरूप वर्ष 1947 से पूर्व की स्थिति के समान स्थिति उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि उस समय थल सेना बहुत अधिक प्रभुत्वपूर्ण सेना थी।
- सिविल नौकरशाही के अंतर्गत भी इनकी (CDS) नियुक्ति को लेकर विरोध है, क्योंकि इससे उच्च रक्षा व्यवस्था पर उनका नियंत्रण कम होने की संभावना है।
- एक समस्या यह भी है कि यह एक ऐसा पद है, जो बिना किसी स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं भूमिका के केवल एक औपचारिक पद बनकर रह सकता है।

वर्तमान संरचना *(Current Structure)*

इस कमेटी में सेना, वायुसेना तथा नौसेना के प्रमुख सम्मिलित होते हैं, साथ ही यह एक ऐसा मंच भी है, जहाँ पर तीनों सेना प्रमुख महत्त्वपूर्ण सैन्य मामलों पर चर्चा करते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता तीनों प्रमुखों में से वरिष्ठतम के द्वारा सेवानिवृत्त होने तक रोटेशन के आधार पर की जाती है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। **UPSC (mains) 2016**
2. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर के आकाशी क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप 'आकाशी क्षेत्र' से क्या समझते हैं? इस आकाशी क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिये इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इससे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और खतरे को नियंत्रित करने के तरीके सुझाइये। **UPSC (mains) 2014**
3. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। **UPSC (mains) 2014**
4. 2012 में समुद्री डकैती के उच्च-जोखिम क्षेत्रों के लिये देशांतरी (लॉन्गीट्यूडिनल) अंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर इसका क्या परिणाम है? **UPSC (mains) 2014**
5. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्याँमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं? **UPSC (mains) 2013**
6. किसी देश के लिये सीमा सुरक्षा क्यों आवश्यक है? आपके मत में भारतीय सीमा प्रबंधन की रणनीति में किन महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का समावेश होना चाहिये?
7. अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध ही सबसे अच्छे सीमा प्रबंधन की गारंटी हैं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं?
8. भारत-बांग्लादेश सीमा जनित समस्याओं ने किस प्रकार देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अशांति को जन्म दिया है? भारत सरकार द्वारा इन समस्याओं से निपटने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

अध्याय
2

भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं समाधान (बाह्य राज्यों और राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका)

[Internal Security Challenges and Solutions in India (The Role of External States and Non-state Actors)]

2.1 आंतरिक सुरक्षा
2.2 भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख समस्याएँ
2.3 आतंकवाद
2.4 जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद
2.5 पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद
2.6 पूर्वोत्तर के लिये सरकार की पहलें
2.7 सांप्रदायिकता एवं भारत की आंतरिक सुरक्षा पर इसका प्रभाव
2.8 अवैध शरणार्थी
2.9 नशीले पदार्थों की तस्करी
2.10 आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सृजित करने में बाह्य राज्य और राज्येतर कर्त्ताओं की भूमिका
2.11 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958

2.1 आंतरिक सुरक्षा *(Internal Security)*

आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू है। यह कानून और व्यवस्था, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता व अखंडता से संबंधित है। लोगों के मौलिक अधिकार और मानवाधिकार सुरक्षित रखने के लिये भी सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा का होना आवश्यक है। किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तीन महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सामने रखकर बनाई जाती है, ये लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

1. देश की संप्रभुता की रक्षा करना।
2. क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना।
3. देश में आंतरिक शांति बनाए रखना।

वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार देश के लिये गंभीर चुनौतियाँ हैं। भारत में आतंकवादी अथवा उग्रवादी गतिविधियाँ, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़े खतरे के रूप में सामने आए हैं।

भारत स्वतंत्रता के बाद से ही आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये संगठित रूप से अव्यवस्था व असंतुलन का माहौल निर्मित किया गया है। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ खड़ी करने का लक्ष्य यह सिद्ध करना होता है कि देश की कानून और व्यवस्था कमज़ोर है तथा इसे चुनौती देने वाले कानून और व्यवस्था की पहुँच से बाहर हैं। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा की चुनौती विधि के शासन के समक्ष भी एक चुनौती के रूप में उपस्थित है।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ काफी हद तक राष्ट्र की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह बहस का विषय बनता है।

उद्योग व विदेशी निवेश एवं निवेशकों द्वारा इन स्थितियों के आधार पर राष्ट्र के बारे में दृष्टिकोण निर्मित होता है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करती है। गुजरात और ओडिशा के कंधमाल में हुए दंगों ने विदेशों में भारत की छवि काफी धूमिल की। मादक पदार्थों की तस्करी, मानव दुर्व्यापार, मानव अंगों की तस्करी व खरीद-फरोख्त मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसी स्थितियाँ देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ भारत की संप्रभुता के समक्ष भी चुनौती हैं।

अध्याय
3

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

3.1 परिचय
3.2 भारत तथा उसके अन्य पड़ोसी देशों के मध्य साझी सीमाएँ, समस्याएँ तथा प्रबंधन
3.3 सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग
3.4 भारतीय आकाशीय सीमा
3.5 तटीय सुरक्षा
3.6 वर्तमान तटीय सुरक्षा प्रणाली
3.7 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड
3.8 चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष

3.1 परिचय *(Introduction)*

मज़बूत सीमा प्रबंधन न केवल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि आर्थिक विकास के लिये भी आवश्यक है। सीमाओं का उचित प्रबंधन न केवल सीमापारीय अवैधानिक गतिविधियों, जैसे- मानव तस्करी, मादक द्रव्य, हथियार तथा रेडियोधर्मी पदार्थों की तस्करी को रोकने या कम करने में सहायता करता है, बल्कि व्यापार सुविधा तथा लोगों की वैध आवाजाही भी सुगम बनाता है।

कई देशों को सीमा प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है सीमाओं के चिह्नीकरण का अभाव, जो पड़ोसी देशों के भूभाग पर दावा करने तथा ऊर्जा एवं जल जैसे स्रोतों पर विवाद को जन्म देता है। कुछ देश सीमा विवाद का सैनिक हल निकालने की कोशिश करते हैं जो कि वर्तमान समय में खतरनाक होने के साथ-साथ अव्यावहारिक भी है। अत: सीमा प्रबंधन की धारणा में वर्तमान में काफी परिवर्तन हुआ है और सीमा प्रबंधन की नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। यह तकनीक उपरोक्त चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम है। इसके अलावा यह व्यापार की दृष्टि से भी सुविधाजनक है।

दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से भारत की स्थिति काफी महत्त्वपूर्ण है। इसकी सीमाएँ सात देशों चीन, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्याँमार, नेपाल तथा अफगानिस्तान से मिलती हैं। इसके अलावा हिंद महासागर से लगी एक लंबी समुद्री सीमा है। अत: भारत की आंतरिक सुरक्षा में सीमा प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण अंग है। चीन तथा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, कुछ अन्य देशों के साथ खुली सीमाएँ होने के कारण एक प्रभावी एवं कुशल सीमा प्रबंधन राष्ट्रीय आवश्यकता बन गया है। इसलिये भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन हेतु बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है तथा तद्नुसार उपाय किये हैं।

भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भारत की साझा थल सीमा का विवरण टेबल में दिया गया है-

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी.)
चीन	3488
पाकिस्तान	3323
बांग्लादेश	4,096.7
म्याँमार	1643
नेपाल	1751
भूटान	699
अफगानिस्तान	106
कुल	**15,106.7**

भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें प्रमुख हैं: सीमा विवाद, अवैध आप्रवास, सीमापार से आतंकवाद में वृद्धि, बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित अलगाववादी आंदोलन, जाली मुद्रा प्रवाह, अवैध व्यापार, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक द्रव्यों की आवाजाही, मानव तस्करी, हथियारबंद आतंकवादियों का प्रवेश, अपराधियों की शरणस्थली बनना आदि।

भारत के पड़ोसी देशों खासकर चीन और पाकिस्तान की शुरू से ही यह प्रवृत्ति रही है कि राष्ट्र निर्माण में भारत को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका फायदा उठाया जाए। इसलिये ये दोनों समय-समय पर अपनी नापाक हरकतें करते रहते हैं।

अध्याय
4

संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती तथा साइबर सुरक्षा के मूलभूत तत्त्व (Challenge to Internal Security through Communication Network and Basics of Cyber Security)

4.1 परिचय
4.2 संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ
4.3 साइबर अपराध के रूप/तरीके
4.4 साइबर युद्ध
4.5 साइबर आतंकवाद
4.6 संचार नेटवर्कों का दुरुपयोग
4.7 भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता
4.8 भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान
4.9 भारतीय साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसियाँ
4.10 साइबर सुरक्षा में सरकार की भूमिका
4.11 साइबर सुरक्षा से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
4.12 भारत द्वारा साइबर सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयास

4.1 परिचय *(Introduction)*

संचार तकनीक को किसी देश की अवसंरचना का महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। हाल के वर्षों में बेहतर क्षमता वाले शक्तिशाली कंप्यूटरों, वायरलेस नेटवर्क तकनीक और इंटरनेट के व्यापक इस्तेमाल ने संचार तंत्र नेटवर्कों को काफी हद तक बदल दिया है।

संचार नेटवर्क के उपकरणों में पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसमें तार वाले एवं बिना तार वाले दोनों प्रकार के उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों के उपयोगकर्त्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपयोगकर्त्ताओं के बीच लगातार संपर्क का दायरा बढ़ते जाने से इंटरनेट आधारित साइबर स्पेस में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

वर्तमान में साइबर स्पेस से जुड़े हमलों और खतरों का जोखिम ज़्यादा है, जिसमें कोई भी दुश्मन देश अथवा आतंकवादी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों और सूचना भंडारों पर हमला कर या इन्हें हैक कर सूचनाएँ चुराने एवं आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकता है। वर्तमान में किसी भी देश की कंप्यूटर आधारित प्रणाली आपस में तथा अन्य तंत्रों से जुड़ी रहती हैं, जो उपरोक्त प्रकार के हमलों के लिये अति संवेदनशील है।

4.2 संचार नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ *(Communication Networks and Challenges for Internal Security)*

संचार नेटवर्क को मुख्यत: दो प्रकार का खतरा होता है:

1. **भौतिक:** भौतिक खतरे में संचार नेटवर्क के तारों को काट देना या विस्फोट से उड़ा देना, मोबाइल टॉवरों को नष्ट कर देना आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इसे भौतिक सुरक्षा बढ़ाकर रोका जा सकता है।
2. **साइबर:** इसमें नेटवर्क में किसी प्रकार का हमला करना या नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना आदि आते हैं। इसके अंतर्गत कई तरह से हानि पहुँचाई जा सकती है, जो इस प्रकार हैं:
   (i) देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता बदल देना।
   (ii) अनधिकृत व्यक्तियों के पास गोपनीय जानकारियाँ पहुँचने का खतरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक होता है।
   (iii) महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों की संचार प्रणाली में उपलब्ध आँकड़ों में परिवर्तन करना या उन्हें हटा देना, जिससे कार्य बाधित हो।

अध्याय
5

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका (Role of Media and Social Networking Sites in Internal Security Challenges)

5.1 परिचय
5.2 भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका
5.3 मीडिया के स्वनियमन के सिद्धांत
5.4 भारत में मीडिया विनियमन के प्रयास
5.5 मीडिया के विनियमन हेतु कुछ एजेंसियाँ
5.6 मीडिया की सकारात्मक भूमिका
5.7 मीडिया का समाज पर प्रभाव
5.8 सोशल मीडिया
5.9 सोशल मीडिया की विशेषताएँ
5.10 सोशल मीडिया का दुरुपयोग
5.11 भारत में सोशल मीडिया की गतिशीलता
5.12 सोशल मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन
5.13 सरकार द्वारा की गई पहलें
5.14 राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति

5.1 परिचय *(Introduction)*

मीडिया अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसका समाज और व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव है। यह सूचना, संचार, शिक्षा जानकारी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने के साथ-साथ जनमानस की सोच में बदलाव लाने का कार्य भी करता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। वर्तमान परिदृश्य में समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के अलावा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि भी इसमें शामिल हैं। टेलीविज़न एवं इंटरनेट का समाज के हर वर्ग पर प्रभाव है। इंटरनेट को मीडिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है।

मीडिया देश का एक सजग प्रहरी है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नज़र रखता है तथा निष्पक्ष भाव रखते हुए इनकी खामियों को उजागर करता है। मीडिया के दो रूप हैं- प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ तथा अन्य छपी सामग्री आती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, संचार तंत्र, इंटरनेट आदि आते हैं। आज टेलीविज़न एवं इंटरनेट का समाज के हर वर्ग पर व्यापक प्रभाव है और इंटरनेट को मीडिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है। कई बार मीडिया सत्ता संघर्ष का साधन बन जाता है। तब वह तटस्थ नहीं होता तथा उसकी नैतिकता भी निरपेक्ष नहीं होती। यह आम निष्कर्ष है कि सत्ता संघर्ष से उपजा भ्रष्टाचार अपने अंत तक नहीं पहुँचता। सत्ता का खेल खेलने में मीडिया या तो स्वयं भ्रष्ट हो जाता है या निष्पक्ष नहीं रह पाता।

5.2 भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका *(Role of Media in Internal Security Challenges of India)*

भारत को विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, जैसे– सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, उग्रवादी गुटों के विद्रोह इत्यादि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ चुनौतियों में मीडिया की भूमिका प्रत्यक्ष होती है, जिससे ये चुनौतियाँ बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। वे चुनौतियाँ जिनमें मीडिया प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, निम्नलिखित हैं:

- **सांप्रदायिकता:** भारत विभिन्न संप्रदायों का संयुक्त निवास स्थल है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन हिंदू-मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक तनाव के कारण कई बार दंगे हो जाते हैं। 2002 के गुजरात दंगे, हाल में घटित असम और मुजफ्फरनगर की घटनाएँ इसके उदाहरण हैं।

अध्याय
6

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मनी लॉण्डरिंग (हवाला) एवं इसकी रोकथाम [Role of Money Laundering (Hawala) in Internal Security and its Prevention]

6.1 मनी लॉण्डरिंग: धारणा, अर्थ व आयाम
6.2 मनी लॉण्डरिंग की प्रक्रिया
6.3 मनी लॉण्डरिंग की प्रचलित विधियाँ
6.4 मनी लॉण्डरिंग के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
6.5 भारत में मनी लॉण्डरिंग की चुनौती से निपटने हेतु किये गए महत्त्वपूर्ण प्रयास
6.6 भारत में काले धन की समस्या पर रोक लगाने के लिये सरकार के प्रयास
6.7 भारत में मनी लॉण्डरिंग की चुनौती से निपटने हेतु महत्त्वपूर्ण एजेंसियाँ
6.8 मनी लॉण्डरिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन
6.9 मनी लॉण्डरिंग, संगठित अपराध और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ विभिन्न संगठनों एवं सम्मेलनों की भूमिका

6.1 मनी लॉण्डरिंग: धारणा, अर्थ व आयाम
(Money Laundering: Concept, Meaning and Dimension)

मनी लॉण्डरिंग (Money laundering) आर्थिक प्रकृति के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार यह अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया है। पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई बल (F.A.T.F.) ने मनी लॉण्डरिंग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन-देनों के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है। सरल शब्दों में, व्यापार आधारित मनी लॉण्डरिंग (T.B.M.L.) व्यापारिक लेन-देनों के माध्यम से धन को अंतरित करने अथवा स्थान बदली करने की प्रक्रिया है। व्यवहार में, इसे आयातों या निर्यातों के मूल्य, मात्रा या गुणवत्ता के मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया जा सकता है।

मनी लॉण्डरिंग में शामिल धन को नशीली दवाओं के व्यापार, भ्रष्टाचार, लेखांकन एवं इससे संबद्ध अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली कई तरह के जोखिमों और असुरक्षाओं से घिरी हुई है जो भ्रष्ट संस्थाओं को मनी लॉण्डरिंग का अवसर प्रदान करती है।

मनी लॉण्डरिंग अपराध का इस्तेमाल सभी प्रकार के गंभीर अपराधों जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, धोखाधड़ी, वेश्यावृत्ति, अवैध जुए, हथियारों की तस्करी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार आदि में होता है। वैसे तो मनी लॉण्डरिंग के अनेक तरीके हैं लेकिन वित्तीय संस्थानों के दुरुपयोग, सीमा पर बड़ी मात्रा में नगदी के अवैध लेन-देन और व्यापारिक वस्तुओं के माध्यम से इसे प्रमुखता से अंजाम दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि हर साल 15 खरब डॉलर की मनी लॉण्डरिंग होती है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है।

मनी लॉण्डरिंग के मामले में भारत बहुत संवेदनशील देश समझा जाता है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसकी औपचारिक सीमाओं से इस धन का आवागमन

अध्याय
7

संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध (Linkages between Organised Crime and Terrorism)

7.1 संगठित अपराध: अर्थ व आयाम
7.2 संगठित अपराध एवं वैश्विक परिदृश्य
7.3 अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध
7.4 संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध
7.5 संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच गठबंधन: उद्देश्य एवं समायोजन
7.6 आतंकवाद और संगठित अपराध में अंतर
7.7 भारत में संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध
7.8 विभिन्न अवैध गतिविधियों तथा आतंकवाद में संबंध
7.9 संगठित अपराधों की जाँच हेतु विशेष एजेंसी
7.10 संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध से निपटने हेतु कुछ सुझाव

7.1 संगठित अपराध: अर्थ व आयाम *(Organised Crime: Meaning and Dimensions)*

संगठित अपराध वे घटनाएँ हैं जिनमें अपराधी तत्त्व अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर एक केंद्रीयकृत मशीनरी के रूप में काम करते हैं। संगठित अपराधों से मानव सुरक्षा तथा शांति को अधिक खतरा होता है, ये पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति व नागरिक विकास को प्रभावित करते हैं। संगठित अपराधों की बुनियाद वास्तव में भय तथा भ्रष्टाचार पर टिकी होती है और यह एक कार्पोरेट समूह की तरह कार्य करता है। 1997 में संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है।

"संगठित अपराध से आशय तीन अथवा अधिक लोगों की सामूहिक गतिविधियों से है जिसमें विभिन्न सोपान स्तरों अथवा व्यक्तिगत संबंधों के ज़रिये ये सरगना लाभ कमा सकें या हिंसा, भय और भ्रष्टाचार के ज़रिये आंतरिक और विदेशी क्षेत्रों तथा बाज़ारों पर नियंत्रण कर सकें। इन सभी गतिविधियों का मकसद आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और किसी भी वैध अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर उसे पंगु बनाना है।"

संगठित अपराध निम्नलिखित तरीकों से किये जा सकते हैं:

1. **नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी:** इसमें नशीले एवं मादक पदार्थों की तस्करी करके अवैध तरीके से धन कमाया जाता है और फिर इसे मनी लॉण्डरिंग के ज़रिये वैध बनाया जाता है।
2. **मानव तस्करी:** इसमें वेश्यावृत्ति के लिये औरतों की तस्करी तथा अन्य मानव तस्करी शामिल हैं।
3. **हथियारों एवं विस्फोटक पदार्थों का अवैध व्यापार:** इसमें संगठित तरीके से हथियारों तथा विस्फोटक सामग्री की तस्करी की जाती है तथा धन कमाया जाता है।
4. **जाली मुद्रा:** इसमें किसी देश की जाली मुद्रा छपवाकर उसे वैध बनाने की कोशिश की जाती है तथा बहुत से कार्य जाली मुद्रा चलाकर करवा लिये जाते हैं।
5. **सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी या उनका अवैध व्यापार:** इसमें सांस्कृतिक महत्त्व की वस्तुओं की चोरी या उनका अवैध व्यापार किया जाता है।
6. **आतंकवादी घटनाएँ:** इसमें बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार एवं अन्य प्रकार से तस्करी से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता है।
7. **मोटर वाहनों की चोरी या उनका अवैध कारोबार:** इसमें मोटर वाहनों की संगठित रूप से चोरी की जाती है तथा उन्हें अन्यत्र ले जाकर बेच दिया जाता है। यह व्यापार बड़े तथा छोटे दोनों पैमानों पर होता है।
8. **जबरन धन वसूली:** लोगों को डरा-धमका कर संगठित रूप से धन वसूली की जाती है।

अध्याय
8

विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ तथा उनकी भूमिका (Various Security Forces and Agencies & their Roles)

8.1 केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल	8.9 विशेष फ्रंटियर बल
8.2 सीमा सुरक्षा बल	8.10 भारतीय तटरक्षक बल
8.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	8.11 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
8.4 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप	8.12 स्वाट टीम
8.5 रेलवे सुरक्षा बल	8.13 पी. चिदंबरम समिति
8.6 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	8.14 कुछ केंद्रीय गुप्तचर एवं जाँच एजेंसियाँ
8.7 सशस्त्र सीमा बल	8.15 सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी चुनौतियाँ
8.8 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	8.16 महत्त्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े मुद्दे

देश की संप्रभुता तथा आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा इसकी रक्षा का ज़िम्मा विभिन्न सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों पर है। इनमें सशस्त्र सेनाओं के साथ-साथ, अर्द्धसैनिक बल, विभिन्न केंद्रीय पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियाँ शामिल हैं। ये बल राज्यों के सुरक्षा बलों तथा पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ बलों एवं एजेंसियों का वर्णन निम्नलिखित है:

8.1 केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल *(CRPF)*

यह बल देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा बल है। इस बल का गठन शुरू में "सम्राट प्रतिनिधि पुलिस" के रूप में 27 जुलाई, 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में किया गया था और आज़ादी के बाद इसे केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) नाम दिया गया। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल को यह नाम 28 दिसंबर, 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के अधिनियमित होने के साथ मिला।

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में 246 बटालियनें हैं जिनमें 208 कार्यकारी बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 आरएएफ बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 2 आपदा प्रबंधन (एनडीआरएफ) एवं 5 सिग्नल बटालियन शामिल हैं। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने व विद्रोही गतिविधियों के नियंत्रण के अलावा सीआरपीएफ का योगदान आम चुनावों में भी रहा है। ऐसा विशेषकर उपद्रवग्रस्त जम्मू-कश्मीर, बिहार व उत्तर-पूर्वी राज्यों में देखा गया है।

राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने तथा पुलिस अभियानों में स्थानीय पुलिस की मदद के लिये इसे आरक्षित बल के रूप में रखा जाता है। कई राज्यों में विभिन्न प्रकार की पुलिस ड्यूटी में इस बल का उपयोग किया जा रहा है। यह बल अपनी तैनाती तथा संचालन एवं संगठनात्मक ढाँचे में अखिल भारतीय स्तर का है। यह बल विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों के अनुरूप अपने को ढालने में सक्षम है और राज्य पुलिस के साथ पूरे समन्वय के साथ काम करता है।

सीआरपीएफ कई अन्य हिस्सों में बँटा है। इसमें, रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, कोबरा बटालियन आदि शामिल हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन 1992 में किया गया। यह सांप्रदायिक दंगों एवं घरेलू अशांति से निपटने हेतु त्वरित कार्रवाई बल है और बहुजातीय संरचना के साथ गठित किया गया है। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप का कार्य एसपीजी संरक्षित जगहों पर सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप का कार्य संसद भवन को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना है। कोबरा बटालियनों को कमांडो ऑपरेशन एवं गोरिल्ला युद्ध के लिये प्रशिक्षित किया गया है। इनका गठन मुख्यत: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये किया गया है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596